



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268553
CG-DL-E-16122025-268553

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5612]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947

No. 5612]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5807(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 831(अ) तारीख 15 मार्च, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 15 मार्च, 2017 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में:-

(i) स्तंभ (4) में क्रम संख्या 2 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“पश्चिम बंगाल के सभी जिले (कोलकाता शहर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग जिलों के सिवाय) और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र”;

(ii) स्तंभ (4) में क्रम संख्या 3 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“कोलकाता शहर निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों अर्थात्- श्यामपुकुर, जोराबागान, बर्तोल्ला, बुराबाजार, पोस्टा, जोरासांको, एमहर्स्ट स्ट्रीट, और किसी भी अन्य पुलिस स्टेशन का क्षेत्र जो भविष्य में कोलकाता शहर और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बनाया जा सकता है, को कवर करता है;”

(iii) स्तंभ (4) में क्रम संख्या 4 के सामने, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग जिले।”

[फा. सं. 09/22/2025-डीआरटी]

सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5807(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services number S.O.831(E), dated the 15th March, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th March, 2017, namely :--

In the said notification, in the Table:-

(i) against serial number 2 in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“All districts of West Bengal (except Kolkata City, districts of Howrah, Hoogly, South 24 Parganas, Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda, Murshidabad, Birbhum, Alipurduar and Kalimpong) and Union territory of Andaman and Nicobar Islands”;

(ii) against serial number 3 in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted namely: -

“Kolkata city covering the areas of the following police stations namely - Shyampukur, Jorabagan, Burtolla, Burrabazar, Posta, Jorasanko, Amherst Street, and area of any other Police Station which may be created in future in Kolkata City and District of South 24 Parganas of West Bengal”;

(iii) against serial number 4 in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted namely: -

“Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda, Murshidabad, Birbhum, Alipurduar and Kalimpong districts of West Bengal.”

[F. No. 09/22/2025-DRT]

SUDHIR SHYAM, Economic Advisor